>

Title: Need to ensure required quota of job reservation to OBCs in Government departments.

श्री गिरिधारी यादव (बांका) : देश में पिछड़े वर्ग के आरक्षण कानूनों पर केन्द्र सरकार के विभिन्न एजेन्सियों में समुचित ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। कई महकमों के प्रथम श्रेणी के पदों पर नौकरशाहों द्वारा ओ.बी.सी के उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। केन्द्र सरकार के मंत्रालय, विभागों एवं उपक्रमों में ए श्रेणी और बी श्रेणी के पदाधिकारियों में 27 प्रतिशत आरक्षण का कोटा अभी तक पूरा नहीं किया गया है और केन्द्र सरकार इस दिशा में समुचित कार्यवाही नही कर रही है जिसके कारण पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी जो योग्य हैं, वे ए श्रेणी और बी श्रेणी के पदों से वंचित है। ऐसा नहीं है कि ओ.बी.सी. वर्ग के लोग योग्य नहीं है, योग्य हैं, शिक्षित हैं परन्तु नौकरशाहों पर बैठे कुछ वर्ग द्वारा पक्षपात ढंग से काम किया जा रहा है जिसके कारण संसद द्वारा पारित मंडल कमीशन के तहत 27 प्रतिशत का आरक्षण का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं कर पाये हैं। सरकारी बैंकों, दिल्ली विश्वविद्यालय, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग इत्यादि में ऐसी नीति अपनाई जा रही है जिससे ओ.बी.सी. के लोगों को फायदा ही नहीं मिले।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिन अधिकारियों को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने कार्य है, उनकी समीक्षा की जाये।